



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GT 749170

तयशुदा विक्रय मूल्य

कुल - 80,00,000/- रुपये

बकाया धनराशि - 79,95,000/- रुपये

स्टांप मूल्य - 100/- रुपये

इकरारनामा / विक्रय अनुबन्ध पत्र

1. श्रीमती पूर्णिमा सिंह पत्नी डॉ० आनन्द सिंह, निवासी ग्राम माडा पास्ट बेलघाट, जिला गोरखपुर।

प्रथम पक्ष / विक्रेता

एवम्

श्रीमती नासरीन पत्नी श्री जफ़ीर अहमद, हाल निवासी जिला जज आवास, अमरोहा।

द्वितीय पक्ष / क्रेता

1. विदित हो कि मैं मुक़िरा निम्न आवासीय प्लॉट जो गाटा सं० 68मि० रकबा 0.240 है० (240 वर्ग मीटर) स्थित ग्राम चिलमपुर परगना हवेली, तहसीद सदर, जिला गोरखपुर है, की मालिक व काबिज हूँ। मुझ मुक़िरा ने यह सम्पत्ति पूर्ववर्ती

श्रीमती सिंह

Nasreen

क्र. सं. 19/9/2024 ऑफिस नॉटरीन 1010 जम्हाते काठमाडौं न्यायालय

बेता का नाम व पता
स्टाम्प विक्रेता का नाम - फर्पुम
ला० सं० २११/२०१०-११
जिला न्यायालय परिसर, अचरीहा (३०५०)

परिसर काठमाडौं

श्रीकृष्ण, श्रीकृष्ण
१९९९-१९
१९९९-१९



स्वामी श्री सच्चिदानन्द से विक्रय पत्र दिनांकित 21.06.1993 के माध्यम से क्रेय की थी।

2. यह कि मैं मुकिरा उक्त प्लॉट की मालिक काबिज हूँ। मुझे विक्रय/दान आदि करने का पूर्ण अधिकार है। मुझ मुकिरा को इस समय रुपए की सख्त आवश्यकता है जिसकी पूर्ति बिना विक्रय पत्र किए जाना संभव नहीं है जिसके विक्रय हेतु तमाम लोगों से बातचीत की जिसमें सबसे अधिक कीमत क्रेता/द्वितीय पक्ष देने को तैयार व रजामंद हुए। यह कीमत वाजिब व माकूल है।

3. यह कि क्रेता श्रीमती नासरीन के पति श्री जफीर अहमद वर्तमान समय में जिला जज अमरोहा के पद पर कार्यरत हैं, इसलिए विक्रेता/प्रथमपक्ष से उक्त भूमि को क्रय करने के लिए क्रेता/द्वितीय पक्ष श्रीमती नासरीन के पति श्री जफीर अहमद को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुमति की आवश्यकता है, परंतु मुझ मुकिरा ने क्रेता/द्वितीय पक्ष से आग्रह किया कि वह मुझ मुकिरा को कुछ रुपये बतौर बयाना देकर अपने हक में इकरारनामा बैनामा तहरीर करा ले तथा शेष बकाया धनराशि देकर अपने हक में बैनामा तहरीर कर देंगे। जिस पर क्रेता/द्वितीय पक्ष राजी हो गए।

4. यह कि मैं मुकिरा स्वस्थ मस्तिष्क के साथ पढ़कर बिना दबाव में गाटा संख्या 68मि0 रकबा 0240 है0 (240 वर्ग मीटर) स्थित ग्राम चिलमपुर परगना हवेली, तहसीद सदर, जिला गोरखपुर की आवासीय निम्न चौहद्दी वाले प्लॉट को प्रथम पक्ष 80,00,000/- रुपए में वहक क्रेता/द्वितीय पक्ष को तहरीर व तकमील करके यह घोषणा करती हूँ कि आज दिनांक से उक्त प्लॉट के विक्रय, दान, बंधक आदि की बाबत लिखा पढ़ी व बातचीत दीकर के हक में नहीं करूंगी।

5. यह कि मैं मुकिरा क्रेता को आज कब्जा दखल नहीं दे रही हूँ। कब्जा बैनामा करने के बाद ही दूंगी। यदि इकरारनामा की अवधि में पक्षकारों के मध्य कोई विवाद

पूणिमासिंह

Nasreen

होता है, तो इकारारनामा स्वतः खण्डित माना जायेगा।

6. यह कि उक्त प्लॉट कुल तय शुदा की कुल 80,00,000/- रुपये हैं, जिसमें से क्रेता 5,000/- रुपये प्रदान कर चुका है जिसकी प्राप्ति विक्रेता को स्वीकार है तथा तयशुदा शेष धनराशि मुब0 79,95,000/- रुपये विक्रेता/प्रथम पक्ष को वरवक्त बैनामा प्राप्त करेंगे।
7. यह कि क्रेता श्रीमती नासरीन के पति श्री जफीर अहमद को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उपरोक्त प्लॉट क्रय करने की अनुमति प्राप्त होते ही शेष धनराशि क्रेता/द्वितीय पक्ष, विक्रेता/प्रथमपक्ष को अदा कर उक्त अनुबंधित प्लॉट के विक्रय विलेख निष्पादित करा लेंगे। प्रथमपक्ष इसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे।
8. यह उक्त तयशुदा प्लॉट हर तरह से पाक साफ है तथा हर प्रकार के बंधक, गिरवी जमानत अथवा भार आदि से पूर्णतया मुक्त है। यदि इस पर किसी प्रकार का बंधक गिरवी जमानत आदि पाया जाता है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह अपना संपूर्ण प्रतिफल व खर्चा विक्रेता से वसूल कर ले।
9. यह कि रजिस्ट्री बैनामा का स्टांप रजिस्ट्री जिम्मे क्रेता की होगी।
10. यह कि इस अनुबंध पत्र की शर्तों से पावन्द क्रेता, विक्रेता तथा उनके वारिसान भी होंगे।
11. यह कि खूब सोच समझकर पढ़कर इकारारनामा बैनामा पर बिना किसी जोर दवाब के अपना हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा बना दिए हैं कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे। इस अनुबंध पत्र की वैधता 03 माह तक होगी।



श्रीमति सिंह

Nasreen

अनुबन्धित प्लॉट का विवरण (गाटा सं० 68मि० रकबा 0240 है० (240 वर्ग मीटर)



पूरुब - मकान जयकिशोर सिंह

पश्चिम - 30 फीट सड़क वादहू मकान शमीमा खातून व रियाज

उत्तर - 30 फीट सड़क वादहू मकान सुरेन्द्र सिंह, शान्ति देवी व
संजय कुमार सिंह

दक्षिण - मकान स्नेहलता मिश्रा तथा ज्ञानगुप्ता



मसौदाकर्ता - खुर्शीद अनवर, एडवोकेट

[Handwritten signature]

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

[Handwritten signature: पूर्णिका सिंह]

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

[Handwritten signature: Noorreen]

हस्ताक्षर - साक्षी सं० 01 श्री जफीर अहमद

[Handwritten signature: Jafar Ahmad]

हस्ताक्षर - साक्षी सं० 02 डॉ० आनन्द सिंह

[Handwritten signature: Anand Singh]
27/9/24
(ANAND SINGH)

पूर्णिका सिंह / मासरीन
I have satisfied myself after examining the dependent the
has been read-over and explained by me
received Rs
17562
27/09/24



[Faint horizontal line of text, possibly a header or separator]

[Faint handwritten mark or signature]

[Faint horizontal line of text]

[Faint handwritten text, possibly a name]

[Faint horizontal line of text]

[Faint handwritten text, possibly a signature or name]